भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3261

दिनांक 24/03/2021/03 चैत्र,1943 (शक) को उत्तर के लिए

पुलवामा के शहीदों को मुआवजा

3261. श्री अनिल देसाई:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दो वर्ष पूर्व पुलवामा में हुए आतंकी हमलों में कितने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शहीद हुए हैं और कितने नागिरक मारे गए हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा घायलों या शहीद हुए लोगों के परिजनों के लिए कोई रोजगार/नकद या अन्य किसी प्रकार के मुआवजे की घोषणा की गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मृतकों और घायल लोगों के साथ किए गए वादे को पूरा किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले लोगों की सहायता न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): दिनांक 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा, जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के चालीस कार्मिकों ने शहादत प्राप्त की थी।

(ख) से (घ): पुलवामा हमले में शहीद हुए केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों (एनओके)/परिवारों को निम्नलिखित मुआवजा/लाभ प्रदान किये गए हैं :-

केन्द्रीय एकमुश्त अनुग्रह मुआवजे के रूप में 35 लाख रुपये, ड्यूटी वाले राज्य की ओर से अनुग्रह राशि के रूप में 5 लाख रुपये, सीआरपीएफ के रिस्क फंड से 20 लाख रुपये, सीआरपीएफ की केंद्रीय कल्याण निधि से 1.5 लाख रुपये, भारतीय स्टेट बैंक पैरामिलिटरी सैलरी पैकेज (पीएमएसपी) कवर से 30 लाख रुपये। इसके अलावा, शहीदों के निकटतम संबंधियों को संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार गृह राज्यों से भी अनुग्रह राशि प्राप्त हुई है। स्वैच्छिक दाताओं ने भी "भारत के वीर" पोर्टल के माध्यम से 15 लाख रुपये तक योगदान दिया है। इसके अलावा, कुछ राज्यों द्वारा अतिरिक्त मुआवजा भी दिया गया था, अर्थात गुजरात सरकार द्वारा 10 लाख रुपये, त्रिपुरा सरकार द्वारा 2 लाख रुपये और सिक्किम सरकार द्वारा 3 लाख रुपये। उक्त लाभ/मुआवजा स्वीकार्य सेवा संबंधी लाभों जैसे कि मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी), सामूहिक बीमा, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के तहत लिबरलाइज्ड पेंशनरी अवार्ड के अतिरिक्त हैं।

जहां तक अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति/सरकारी नौकरी का संबंध है, 17 शहीदों के निकटतम संबंधियों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई थी, 02 निकटतम संबंधियों के मामले प्रक्रियाधीन हैं, 06 निकटतम संबंधी सीआरपीएफ/राज्य सरकार में नौकरी के लिए अनिच्छुक थे। 05 निकटतम संबंधी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अपात्र थे, क्योंकि उनके परिवार में केवल वृद्ध माता-पिता/अशिक्षित पत्नी ही मौजूद हैं, 09 मामलों में शहीदों के आश्रित नाबालिग थे और 01 निकटतम संबंधी/आश्रित ने अपनी सहमति प्रस्तुत नहीं की थी।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3261

TO BE ANSWERED ON THE 24TH MARCH, 2021/ CHAITRA 3, 1943 (SAKA)

COMPENSATION TO PULWAMA MARTYRS

3261 SHRI ANIL DESAI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of CRPF jawans and civilians killed in terrorist attack in Pulwama two years back;

(b) whether any jobs/cash or any other form of compensation was announced by Government to the injured or to the family members of those killed, if so, the details thereof;

(c) whether the promises made to dead and injured have been fulfilled, if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons for not helping those who sacrificed their life for the nation?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NITYANAND RAI)

(a): Forty CRPF personnel attained martyrdom in a terrorist attack on 14th February, 2019 in Pulwama, Jammu & Kashmir. No civilian was killed in the incident.

(b) to (d): The Next of Kin (NoK)/families of CRPF personnel killed in the Pulwama attack have been provided the following compensation/benefits:-

Rs. 35 Lakh as Central Ex-gratia lump sum compensation, Rs. 5 Lakh as Ex-gratia from duty State, Rs. 20 Lakhs from Risk Fund of CRPF, Rs. 1.5 Lakhs from Central Welfare Fund of CRPF, Rs. 30 Lakhs from SBI Para Military Salary Package cover. In addition, NoKs of martyrs have been paid Ex-Gratia from Home States as per the rules of the State concerned. Voluntary donors have also contributed upto Rs.15 lakhs through 'Bharat Ke Veer' portal. Besides, additional compensation was also given by some of the States i.e. Gujarat Government @ Rs.10 Lakhs, Tripura Government @ Rs.2 Lakhs and Sikkim Government @ Rs.3 Lakhs. The said benefits/compensation are in addition to the admissible service benefits viz. Death-cum-Retirement Gratuity (DCRG), Group Insurance, General Provident Fund (GPF) and Liberalized Pensionary Award under Central Civil Service (Extra-ordinary Pension) Rules, 1939.

As regards compassionate appointment/Government job, NoKs of 17 martyrs were provided Government jobs, cases of 02 NoKs are in the process, 06 NoKs were unwilling for jobs in CRPF/State Government. 05 NoKs were ineligible for compassionate appointment as family comprises of only old aged parents/illiterate wife, wards of martyrs in 09 cases were minors and 01 NoK/dependent had not submitted willingness.

****